कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक — 197 / 12—1 अल्मोड़ा, दिनांक, 20.07.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :— हरिनगर पय्या मोटर मार्ग का दाबू हडाप तक विस्तार (प्रस्ताव संख्या 10042 / 2015)।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्रांक 3072 / 12—1 दिनांक 26.06.2015 के क्रम में आपका ऑन—लाइन प्रस्ताव दिनांक 20.07.2015।

महोदय,

संदर्भित मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आपके स्तर से जो ऑन—लाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसके हॉर्ड—कॉपी के अवलोकन से निम्न कमी संज्ञान में आयी है—

प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण संख्या 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची प्रस्ताव में संलग्न नही है। इस सम्बन्ध में V.C में भी चर्चा के दौरान यह प्रकरण आया कि मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में अंकित की जाय। अतः वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न की जाय। भविष्य में ऑन—लॉइन किये जाने वाले सभी प्रस्तावों में वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की व्यासवार (Girth Class Wise) सूची भी संलग्न की जाय।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

आवक संख्या 387
पत्रावली संख्या 12-1-2
दिनांक 24/7/2015
प्र० का० करें।
प्रभागीय वनाधिकारी

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक /387/ 12-1-2 दि० 24/7/2015

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्ति के अनुसार मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तैयार करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रमाणित
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्र० व०
बागेश्वर